न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 95/2016 G.C.M.S. No. 2016/00446 दर्ज दिनांक : 24.10.2016

अपीलार्थिगण:

1. छोगाराम पुत्र वीराराम
2. रगाराम पुत्र वीराराम
3. जयन्तीलाल पुत्र वीराराम, जातिगण मारू कुम्हार निवासीगण भारून्दा तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
4. गैरी पुत्री वीराराम पत्नि दरगाजी जाति मारू कुम्हार निवासी पालडी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कपूराराम पुत्र वीराराम जाति मारू कुम्हार, निवासी भारून्दा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
2. देवा पुत्र वीराराम जाति मारू कुम्हार, निवासी भारून्दा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 720/2015 (पुराने नंबर 120/2002, 56/1995) बअनवान कपूराराम बनाम वीराराम के कायम मुकाम देवाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री लक्ष्मण चौधरी, श्री चेतन आगरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 25.07.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 720/2015 (पुराने नंबर 120/2002, 56/1995) बअनवान कपूराराम बनाम वीराराम के कायम मुकाम देवाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से अपीलांट्स के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में ग्राम भारून्दा के पूर्व खसरा नंबर 264/41 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा की स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि थीं, जो पहले वादी रेस्पोंडेंट के पिता के नाम दर्ज थीं। पिता के मृत्यु के बाद वादी रेस्पोंडेंट के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त आराजी के अंतिम सेटलमेंट के बाद खसरा नंबर 478, 479, 480, 482 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर हुए। उक्त आराजी के संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोंडेंट द्वारा खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को वादी रेस्पोंडेंट की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी की उपस्थिति दर्ज करते हुए वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उपरोक्त वाद को पुनः रेस्टोर किये जाने हेतु एक आवेदन आदेश 9 नियम 4 सीपीसी में दिनांक 03.12.2005 को पेश किया। जो दिनांक 23.11.2007 को स्वीकार कर वाद को पुनः रेस्टोर कर दिया गया। तत्पश्चात आवेदन स्वीकार करने के बाद वाद को पुनः बरामद कर दिया गया। तत्पश्चात पत्रावली कैम्प कोर्ट भारून्दा में बहस हेतु नियत रही एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि जहां पर वाद केवल वादी की अनुपस्थिति में और प्रतिवादी की उपस्थिति में खारिज किया जाता है, वहां पर रेस्टोरेशन के आवेदन में प्रतिवादी को सुना जाना आज्ञापक है। बिना प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिये आवेदन विधिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी अर्थात् अपीलाण्ट्स के पिता वीराजी को कभी भी रेस्टोर आवेदन में तलब नहीं किया गया और बिना तलबी के ही रेस्टोर आवेदन दिनांक 23.11.07 को स्वीकार कर लिया, जो आदेश अवैध व शून्यवृत्त होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त योग्य है। तत्पश्चात् दौराने वाद प्रतिवादी वीरा का दिनांक 20.11.13 को देहान्त हो चुका था, फिर भी पत्रावली मृत्तक के विरुद्ध ही लम्बित रखी, जबकि वादी और प्रतिवादी दोनों एक ही जाति के, एक ही गांव के निवासी है। ऐसी स्थिति में वादी को ज्ञात होते हुए भी कायम मुकाम आवेदन पेश नहीं किया, तब रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन पेश किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध रूप से खारिज करते हुए वादी के आवेदन आदेश 22 नियम 4 व 9 सी.पी.सी. को स्वीकार कर लिया, जबकि मृत्यु के करीब डेढ़ साल बाद आवेदन पेश हुआ था, जो प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य था। कैम्प कोर्ट पेशी दिनांक 3.6.15 का नोटिस भी प्रतिवादी मृत्तक वीरा के नाम ही जारी किया गया था, जिस पर भी यह रिपोर्ट अंकित है कि उसकी मृत्यु 3 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं, इससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सारी कार्यवाही अवैध रूप से की गई हैं। वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 के आवेदन को स्वीकार किए जाने के बाद मृत्तक प्रतिवादी वीरा के कायम मुकाम को तलब किए जाने हेतु न तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया, न ही अपीलाण्ट्स को नोटिस/सम्मन जारी किए गए, न ही अपीलाण्ट्स को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया अर्थात् बिना अपीलाण्ट्स को तलब किए ही अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

को कायम मुकाम बनाते हुए अपीलाण्ट्स के विरुद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित कर दी। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को व प्रकरण के प्रत्येक पक्षकार को विधिनुसार साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आज्ञापक है, अन्यथा कार्यवाही पूर्ण रूप से नलिटी है। इसी अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही पूर्ण रूप से नलिटी ही है, क्योंकि प्रतिवादी मृत्तक वीरा के स्थान पर अपीलाण्ट्स को वादी के आवेदन पर वाद शीर्षक में रेकर्ड पर तो ले लिया, लेकिन अपीलाण्ट्स को न तो तलब किया, न ही साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही हाल खसरा नम्बर 478, 479, 480 व 482 गत खसरा नम्बर 264/41 से नहीं बने हैं, जो मिलान क्षेत्रफल से ही स्पष्ट है। इसके अलावा भी अपीलाण्ट्स के पास पूर्व रकबे से सेटलमेन्ट के बाद रकबा अधिक नहीं हैं। इस बाबत अपीलाण्ट्स के पिता की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के पद संख्या 1 से 4 में समस्त तथ्य प्रकट कर दिये थें और यह भी निवेदन किया था कि गत रकबे के मुकाबले वर्तमान रकबा 0.13 हैक्टेयर सेटलमेन्ट के बाद कम किया गया है तथा खसरा नम्बर 479 पर अपीलाण्ट्स के पिता की ओर से कुंआ खोदा हुआ है, जिस पर डीजल इंजन लगाकर के अपीलाण्ट्स के पिता सिंचाई कर रहे हैं इस प्रकार से अपीलाण्ट्स के पिता का कब्जा–काश्त उपरोक्त भूमि पर प्रकट था। सेटलमेन्ट होने के करीब 20–25 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया था, जो वाद मयाद के आधार पर भी पोषणीय नहीं था, क्योंकि कब्जे के अभाव में खातेदारी घोषणा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है और कब्जा प्राप्ति का न तो वाद है। इसके साथ कब्जा प्राप्ति के अधिकार भी वादी के विधि अनुसार वर्जित हो चुके थे इस कारण भी कब्जे के अभाव में खातेदारी घोषणा की न तो डिक्री दी जा सकती है, न ही स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री दी जा सकती है इस कारण से भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वाद डिक्री किए जाने की अवस्था में प्रतिवादी की खातेदारी का रकबा कम होगा, प्रतिवादी के सेटलमेन्ट के पूर्व की जितनी खातेदारी थी, उतनी खातेदारी दर्ज करना सेटलमेन्ट अधिकारियों का कर्तव्य है। सेटलमेन्ट विभाग को खातेदारी कम करने का कोई अधिकार नहीं हैं, फिर भी सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी अपीलाण्ट्स के पिता की गत रकबे के मुकाबले 0.13 हैक्टेयर भूमि सेटलमेन्ट बाद कम दर्ज की है। उपरोक्त तथ्य रेकर्ड पर उपलब्ध थे, फिर भी केवल वाद को डिक्री करने की नियत मात्र से ही अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये हैं। जानबूझकर अपीलाण्ट्स की तलबी नहीं की ताकि सही स्थिति व साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आ सकें। इसी अनुरूप वादी ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 से मिलावट करते हुए उसकी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित करवा दी। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध व निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2016 को स्वीकार कर निर्णित व डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 24.10.2016 को विलंब के साथ पेश की गई। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से निवेदन किया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के पिता प्रतिवादी थें। जिनकी दौराने वाद मृत्यु हो गई थीं। जिनके कायम मुकाम को नोटिस जारी किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड पर ले लिया तथा अपीलांट्स को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलांट्स के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट्स को सर्वप्रथम दिनांक 19.10.2016 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा नकल आदि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफी योग्य होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स प्रतिवादीगण के पिता वीराराम के फौत होने पर अधिवक्ता वादी ने दिनांक 12.05.2015 को कायम मुकाम बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.06.2015 लोक अदालत कैम्प कोर्ट भारून्दा में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक प्रतिवादी के वारिसान अपीलांट को रेकर्ड पर लिया गया। लेकिन वारिसान को किसी प्रकार का सम्मन जारी किए जाने व तामील आदि होने का कोई अंकन नहीं हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट्स को समुचित तामील करवाए बिना व अपीलांट की गैर मौजूदगी में पारित की गई हैं। ऐसी स्थिति में विलंब अपीलांट्स की लापरवाही व गलती के कारण नहीं होकर सद्भाविक व

Scanned with OKEN Scanner

युक्तियुक्त कारणों से हुआ है। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पारित की गई हैं। प्रकरण में अपीलांट्स के पिता बतौर प्रतिवादी संयोजित थें। जिनके फौत होने पर अपीलांट्स कायम मुकाम को नोटिस जारी किए बिना रेकर्ड पर लिया गया। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार तारीख पेशी दिनांक 04.04.2016 को पत्रावली वास्ते बहस आयंदा दिनांक 12.05.2016 को नियत की गई। इसी दरम्यान आगामी आदेशिका दिनांक 28.04.2016 पक्षकारान व अधिवक्तागण को सूचित किए बिना उक्त दिनांक को पत्रावली आयंदा राजस्व लोक अदालत कैम्प भारून्दा में दिनांक 15.06.2016 को नियत की गई तथा दिनांक 15.06.2016 के अंकन अनुसार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा/सहमति आदि का निष्पादन किए बिना तथा पक्षकारान की गैर मौजूदगी में पारित किया गया है। जबकि लोक अदालत में केवल राजीनामा योग्य प्रकरण ही कानूनन निर्णित किए जा सकते हैं।

4. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– **"No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties."** इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 720/2015 (पुराने नंबर 120/2002,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

56/1995) बअनवान कपूराराम बनाम वीराराम के कायम मुकाम देवाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.08.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली